

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 फरवरी 2011—माघ 15, शक 1932

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
निर्वाचन सदन, 17, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2011

फा. क्र. 84 (16)-2011-चार-678.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61-ए के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग के निदेश क्रमांक 576/3/EVM/2011/SDR (LA-Bye) दिनांक 21 जनवरी 2011 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति का प्रकाशन सर्वसाधारण के सूचनार्थ किया जाता है.

प्रेम चन्द मीना, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 21 जनवरी 2011

निदेश

संख्या 576-3-ई.वी.एम.-2011-एस.डी.आर. (वि. स.)—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61 क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिये प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करें; तथा

2. यतः आयोग ने झारखण्ड में 57-खरसावों (अ. ज. जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में 59-संजारी बालोद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में 75-खाडिआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मणिपुर में 18-कोन्थाऊजम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मध्यप्रदेश में 198-कुक्षी (अ. ज. जा.) एवं 170-सोनकच्छ (अ. जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त वर्णित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिये पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के दक्षतापूर्वक संचालन करने के लिये प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं;

3. अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा झारखण्ड में 57-खरसावाँ (अ. ज. जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में 59-संजारी बालोद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में 75-खाडिआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मणिपुर में 18-कोन्थाऊजम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मध्यप्रदेश में 198-कुक्षी (अ. ज. जा.) एवं 170-सोनकच्छ (अ. जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को उन निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में उल्लिखित करता है जिसमें झारखण्ड के 57-खरसावाँ (अ. ज. जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विषय में 17 जनवरी, 2011 को अधिसूचित किए गए तथा शेष विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये 21 जनवरी, 2011 को अधिसूचित किए गए उक्त राज्यों की विधानसभाओं के लिये चालू उप निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन मत निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

आदेश से,
हस्ता./-
(के. एफ. विल्फ्रेड)
सचिव.

New Delhi, dated the 21st January 2011

DIRECTION

No. 576-3-EVM-2011-SDR(LA-Bye).—WHEREAS, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, Provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. WHEREAS, the Commission has considered the circumstances in 57-Kharsawan (ST) Assembly Constituency in Jharkhand, 59-Sanjari Balod Assembly Constituency in Chhattisgarh, 75-Khadia Assembly Constituency in Gujarat, 18-Konthoujam Assembly Constituency in Manipur and 198-Kukshi (ST) & 170-Sonkatch (SC) Assembly Constituencies in Madhya Pradesh and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. NOW, THEREFORE, the Election Commission of India hereby specifies 57-Kharsawan (ST) Assembly Constituency in Jharkhand, 59-Sanjari Balod Assembly Constituency in Chhattisgarh, 75-Khadia Assembly Constituency in Gujarat, 18-Konthoujam Assembly Constituency in Manipur and 198-Kukshi (ST) & 170-Sonkatch (SC) Assembly Constituencies in Madhya Pradesh as the constituencies in which the votes at the current bye-elections to the Legislative Assemblies of the said States, notified on 17th January, 2011 in the case of 57-Kharsawan (ST) Assembly Constituency in Jharkhand and notified on and 21st January, 2011, in the case of the other constituencies, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subejct.

By order,
Sd./-
(K. F. WILFRED)
Secy.